17.04.2025

प्रेस प्रकाशनी

सीबीएसई द्वारा शिक्षकों की दक्षता के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संरेखित 'एसटीईएम शिक्षा' विषय पर वार्षिक प्रशिक्षण एवं अनिवार्य प्रशिक्षण रूपरेखा घोषित की गई

नई दिल्ली, अप्रैल **2025**- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशिक्षण प्रकोष्ठ ने 01 अप्रैल 2025 को दो प्रमुख अधिसूचनाएं -TRG-3/2025 और TRG-2/2025 जारी की हैं जिनमें सीबीएसई से संबद्ध सभी विद्यालय प्रमुखों एवं शिक्षकों के लिए अनिवार्य व्यावसायिक विकास रूपरेखा का ब्यौरा दिया गया है। ये निदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के लक्ष्यों को लागू करने की सीबीएसई की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मान कों (NPST) के संदृश्य के अनुरूप हैं, जो शिक्षक विकास में गुणवत्ता और जवाबदेही के मानकों को स्थापित करते हैं।

वार्षिक सतत व्यावसायिक विकास (CPD) अधिदेश के अंतर्गत, सीबीएसई से सम्बद्ध विद्यालयों के सभी शिक्षकों को प्रति वर्ष न्यूनतम 50 घंटे का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है - 25 घंटे – सीबीएसई अथवा सरकारी क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा और 25 घंटे विद्यालय स्तर या विद्यालय संकुल आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से, जो एनपीएसटी के अनुसार निम्न मुख्य मानकों पर केंद्रित हों:-

- आधारभूत मूल्य और आचारनीति – 12 घंटे
- ज्ञान और अभ्यास – 24 घंटे
- व्यावसायिक विकास और प्रगति – 14 घंटे

यह प्रशिक्षण शिक्षकों को एनपीएसटी मानकों के अनुरूप तैयार करने हेतु डिज़ाइन किया गया है , जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और छात्रों के बेहतर परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। इस रूपरेखा में एनसीईआरटी द्वारा सुझाए गए व्यापक सीपीडी दिशा-निर्देशों को भी ध्यान में रखा गया है। बोर्ड द्वारा जारी सीपीडी दिशानिर्देशों में उन गतिविधियों का संज्ञान लिया गया है जो शैक्षणिक उद्देश्यों की ओर उन्मुख है और शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं में योगदान करने वाली हैं। कक्षा X और XII बोर्ड परीक्षाओं के लिए शिक्षकों द्वारा की जाने वाली मूल्यांकन संबंधी ड्यूटी , प्रायोगिक परीक्षक की ड्यूटी, अन्य विकासात्मक कार्य जैसे शोध परियोजनाएं, प्रस्तुतियाँ, सीबीएसई सम्मेलनों में भागीदारी, प्रश्नपत्र/एकांश निर्माण, ई-सामग्री निर्माण, सीबीपी विकास, पाठ्यक्रम समीक्षा, डीडी पीएम ई-विद्या चैनल सीबीएसई 15 को देखना आदि को, उक्त CPD अधिसूचना में उल्लिखित परिमाण के अनुसार सीपीडी घंटों के रूप में मान्यता दी गई है।

इसके अतिरिक्त, भारत की विकसित होती ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के अनुरूप एक दूरदर्शी कदम के अंतर्गत,सीबीएसई ने वर्ष 2025 के लिए STEM शिक्षा (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित) को वार्षिक प्रशिक्षण की विषय-वस्तु के रूप में घोषित किया है। इसका उद्देश्य अनुभव जन्य, जिज्ञासा-आधारित और अंतर्विषयी शिक्षण पद्धतियों के साथ कक्षा शिक्षण को एकीकृत करने की रणनीतियों से शिक्षकों को सशक्त करना है।

इस प्रयास को मजबूती देने के लिए, विद्यालयों को STEM शिक्षा पर जिला-स्तरीय विचार-विमर्श (DLDs) आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, ताकि स्थानीय स्तर पर शिक्षण समुदाय बनाए जा सके जहां शिक्षक STEM शिक्षण पर मिलकर विमर्श कर सकें, सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा कर सकें, और स्थानीय स्तर पर भी नवाचार को प्रोत्साहित कर सकें। सभी स्कूलों और शिक्षकों को इन विचार-विमर्शों में सक्रिय भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है ताकि राष्ट्रीय लक्ष्यों को स्थानीय संदर्भ में ढाला जा सके।

सभी संबद्ध स्कूलों को इन अधिसूचनाओं में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाते हैं। सीबीएसई, शिक्षकों को सशक्त बनाने , नेतृत्व को मजबूत करने , और शिक्षण-अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण और रुचिकर बनाते हुए एक भविष्य-उन्मुख शिक्षा प्रणाली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। विद्यालय प्रमुखों से अपेक्षा की जाती है कि वे परिवर्तन के प्रेरक की भूमिका निभाएं और अपने विद्यालयों में सतत व्यावसायिक अधिगम और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दें।

ये अधिसूचनाएं एवं संसाधन http://www.cbse.gov.in और https://cbseit.in/cbse/2022/ET/frmListing पर उपलब्ध हैं।

सचिव, सीबीएसई